

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं.5(1)चिस्वा/2/2023/पी-165-21881

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.जयपुर।

विषय:- डॉ० प्रताप सिंह परमार, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर (जन्मतिथि 20.12.1961) को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ० प्रताप सिंह परमार, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर (जन्मतिथि 20.12.1961) जो अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2023 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

डॉ० प्रताप सिंह परमार, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर (जन्मतिथि 20.12.1961) के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ० प्रताप सिंह परमार, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर।
3. डॉ० प्रताप सिंह परमार, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय जिला चिकित्सालय, झूंगरपुर (जन्मतिथि 20.12.1961)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
4919529



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.10.26 14:34:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/पी-165/2023/ 549

दिनांक : 01/11/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 26.10.2023 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय डुंगरपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० प्रताप सिंह परमान प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है। अपने स्तर पर अभिलेख की जाँच कर कार्यवाही करे।
4. डॉ० प्रताप सिंह परमान प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विभागीय बेबसाइट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
4982297

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :01-11-2023 10:18:32